सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021–22

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-22

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का उद्देश्य	1
3	संरचना	1–2
4	बजट प्रावधान एवं व्यय	2
5	कार्य प्रणाली	2–3
6	कार्मिकों का चयन	4
7	मुखबिरों / सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना	4–5
8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान	5
9	पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण	5–7
10	चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2021 से 10.12.2021) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण	8
11	आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल	8–12
12	सार संक्षेप	12
13	प्रशासनिक संरचना (सारणी–1)	13
14	पदों की स्थिति दिनांक 21.12.2021 तक (सारणी–2)	14
15	निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नंबर (सारणी–3)	15

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22

1. *प्रस्तावना*

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर, उसे रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (State Directorate of Revenue Intelligence) स्थापित करने की घोषणा की गई थी। निदेशालय का गठन राजस्व के समस्त स्त्रोतों (Sources) पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना (Tax Evasion) को रोकने हेतु किया गया है। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विधायी शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं।

2. *उद्देश्य*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। निदेशालय का गठन मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अंतरराज्यीय व्यापार में कर वंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देना है, वहीं आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना भी है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में हो रही कर वंचना की सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

3. *संरचना*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के विभागाध्यक्ष का पदनाम महानिदेशक, राज्य राजस्व आसचूना निदेशालय है। वर्तमान में इस पद पर भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं। निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक के दो पदों पर क्रमशः राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त निदेशालय में क्रमशः दो–दो पद वाणिज्यिक कर अधिकारी, खनि अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी, तहसीलदार, मोटर वाहन निरीक्षक, मोटर वाहन उपनिरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, निजी सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर के हैं। तीन–तीन पद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कनि. वाणिज्यिक कर अधिकारी, निरीक्षक सहकारिता एवं राजस्व आसूचना अधिकारी (अन्य सेवा) के हैं। एक–एक पद वित्तीय सलाहकार, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उपविधि परामर्शी, एनालिस्ट कम प्रोगामर, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रोगामर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II, निजी सचिव, सहायक खनि अभियन्ता, फोरमेन, खनिज सर्वेयर, खनिज

रक्षक, सहायक कार्यालय अधीक्षक, निरीक्षक भू–अभिलेख, वरि. सहायक एवं पटवारी के है। उपरोक्त पदों के अतिरिक्त कर सहायक के 5, कनि. सहायक के 2, वाहन चालक के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पद भी सृजित है।

निदेशालय में पदस्थापित वाणिज्यिक/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, खनिज अभियन्ता, जिला आबकारी अधिकारी एवं तहसीलदार का पदनाम राजस्व आसूचना अधिकारी है। निदेशालय में वर्तमान में 66 पद स्वीकृत है जिनमें से 41 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित है एवं 25 पद रिक्त है। निदेशालय का संगठनात्मक चार्ट एवं निदेशालय में स्वीकृत पदों का विवरण क्रमशः सारणी–1 एवं 2 में दर्शाया गया है।

निदेशालय के संगठनात्मक ढांचे को वर्ष 2021 में पुर्नगठित किया जाकर निम्नानुसार तीन स्वतंत्र विंग गठित की गई–

1. प्रतिकरापवंचन विंग
2. जोखिम निर्धारण एवं नीतिगत नवाचार विंग
3. ऑडिट एवं विश्लेषण विंग

निदेशालय में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के अधीन पंजीयन एवं मुद्रांक व खान एवं भू–विज्ञान विभाग तथा अतिरिक्त निदेशक (कर) के अधीन वाणिज्यिक कर, परिवहन एवं आबकारी विभाग के निदेशालय में पदस्थापित राजस्व आसूचना अधिकारी होंगे।

4. बजट प्रावधान एवं व्यय

निदेशालय में केन्द्र प्रवर्तित मद में कोई बजट प्रावधान नही है। निदेशालय में मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय किया जाता है। गैर आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 503.45 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व 10 दिसम्बर, 2021 तक राशि रू. 352.19 लाख का व्यय किया गया। आयोजना मद में वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रू. 1.50 लाख के बजट प्रावधान है। 10 दिसम्बर, 2021 तक व्यय राशि शून्य है।

5. कार्य प्रणाली

निदेशालय को प्रभावी बनाने एवं प्राप्त सूचनाओं का त्वरित निस्तारण कर निदेशालय की आमजन में विश्वसनीयता कायम करने की दृष्टि से निदेशालय में प्राप्त सभी सूचनाओं/शिकायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयास किया गया है। निदेशालय द्वारा स्वप्रेरणा से की जा रही जांच कार्यवाही के अतिरिक्त, प्राप्त अन्य सूचनाओं/शिकायतों के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक परिचालन पद्धति (Standard Operation Procedure) निर्धारित की गई है। चूंकि निदेशालय में अधिकांश सूचनाऐं एवं शिकायतें आमजन से अपेक्षित हैं, अतः इसे दृष्टिगत् रखते हुऐ निदेशालय में प्राप्त इन सूचनाओं एवं शिकायतों को पब्लिक इन्फोरमेशन ऑन रेवेन्यू इन्टेलीजेंस (PIR) का नाम दिया गया है।

निदेशालय को कोई भी व्यक्ति डाक, दस्ती, मोबाईल फोन, निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन, निदेशालय की ई–मेल आई. डी sdri@rajasthan.gov.in पर अथवा निदेशालय के टोल फ्री नम्बर 18001806292 के माध्यम से सूचना दे सकता है। आमजन को निदेशालय के कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये निदेशालय द्वारा समय–समय पर राज्य स्तरीय हिन्दी दैनिक अखबारों में विज्ञापन भी प्रकाशित करवाये जाते हैं, जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है। इससे निदेशालय को आमजन के माध्यम से काफी संख्या में कर अपवंचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाऐं निरंतर प्राप्त हो रही है।

निदेशालय को प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों को सर्वप्रथम पी.आई.आर. के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक दर्ज पी.आई.आर. को एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही सृजित किया जाता है। सामान्यतः पी.आई.आर. प्राप्ति तिथि को ही निदेशालय की वेब साईट www.sdri.rajasthan.gov.in पर अपडेट कर दी जाती है तथा सृजित पी.आई. आर. के आई.डी क्रमांक की जानकारी सूचनादाता को भी दी जाती है। दर्ज की गई पी.आई. आर. का वर्गीकरण सामान्य अथवा महत्त्वपूर्ण श्रेणी में निदेशालय स्तर पर किया जाता है। कुछ पी.आई.आर. जो अति विशिष्ट प्रकृति की होती हैं, उनमें निदेशालय अपने स्तर पर विस्तृत जॉच की कार्यवाही करता है। शेष पी.आई.आर. संबन्धित विभागों में इस कार्य हेतु अधिकृत किये गये विभागीय नोडल अधिकारी को ऑनलाईन भिजवा दी जाती है। तत्पश्चात् विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही की सूचना कम्प्यूटर पर ऑनलाईन ही निदेशालय को भिजवाई जाती है।

उल्लेखनीय है कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वाणिज्यिक कर, परिवहन, खनन, आबकारी तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में इन विभागों द्वारा अधिकृत विभागीय नोडल अधिकारियों को निदेशालय की वेब साईट प्रयोग हेतु पृथक–पृथक यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, ताकि वे उन्हें प्रेषित की गई पी.आई.आर. पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें तथा की गई विभागीय कार्यवाही से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की वेब साईट को नियमित रूप से अपडेट कर सकें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लम्बित पी.आई.आर. का पर्यवेक्षण एवं इसके निस्तारण पर भी चर्चा की जाती हैं। सूचनादाता भी उसे आवंटित पी.आई.आर. आई. डी क्रमांक के आधार पर उसके द्वारा दी गई सूचना पर हुई कार्रवाई में स्टेटस की जानकारी निदेशालय की वेब साईट को लॉगईन करके देख सकता है।

निदेशालय के राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सूचनाओं को दर्ज व निस्तारण करने का कार्य किया जा रहा है। संबंधित राजस्व विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा दर्ज सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त राजस्व का इन्द्राज पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा रहा है।

6. *कार्मिकों का चयन*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व विभागों में हो रही कर अपवंचना से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर कार्य करता है, इसलिए निदेशालय में अनुभवी, दक्ष एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2010 बनाये गये हैं।

निदेशालय में वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, विधि सेवा के अधिकारी एवं इसके अतिरिक्त तहसीलदार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, प्रोग्रामर, सूचना सहायक, निजी सचिव एवं निजी सहायक के पदों पर इन नियमों के तहत विशेष चयन अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से चयनित व्यक्तियों को निदेशालय में कार्यरत अवधि में उनके मूल वेतन के 15% (उनके छठें वेतनमान के अक्टूबर–2017 के मूल वेतन के 15%) की राशि का विशेष भत्ता भी देय है।

निदेशालय में स्वीकृत 66 पदों में से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें, नियम 2010 के शिड्यूल–I में वर्णित 24 पदों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष चयन किया जाता है। वर्तमान में इन 24 पदों में से 17 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है एवं इनमें से 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष चयन उपरान्त विशेष भत्ते का भुगतान नियमानुसार देय है। निदेशालय में उपलब्ध पदों पर संबंधित विभागों द्वारा स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष भत्ते का भुगतान देय नहीं है।

7. *मुखबिरों/सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कर अपवंचना की सूचनाऐं प्राप्त करने के लिये, आमजन को कर अपवंचना की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित करने एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये एक स्कीम ''Grant of Reward to Informer and Government Servants Scheme, 2021" बनाई गई है। इस योजना के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करवाई गई सूचना के महत्व के आधार पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि सूचनादाता की सूचना के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व राशि का अधिकतम 8 प्रतिशत तक अथवा प्रति प्रकरण अधिकतम 25.00 लाख रू. तक जो भी कम है निर्धारित की गई है। यह राशि उन प्रकरणों में ही देय है जहॉ राज्य सरकार को प्राप्त अविवादित राजस्व की राशि रू. 10.00 लाख या इससे अधिक होगी। स्कीम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सूचनादाता की पहचान गुप्त रखी जायेगी।

इस स्कीम के तहत् राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह प्रोत्साहन राशि उन राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगी, जिनका राजस्व वंचना के प्रकरणो को उजागर करने में विशिष्ट योगदान होगा एवं इस तरह के प्रकरणों में अविवादास्पद राजस्व प्राप्ति एक करोड रू. या अधिक होगी। व्यक्तिशः यह राशि एक प्रकरण में अधिकतम रू. 50,000/– एवं टीम के रूप में कार्य करने पर टीम को अधिकतम प्रति प्रकरण रू. 2.00 लाख तक होगी। इस प्रकार से दी गई राशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के संपूण सेवा काल में अधिकतम रू. 10.00 लाख तक सीमित की गई है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा करअपवंचना के संबध में स्वप्रेरणा से अथवा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सूचनाओं के आधार पर जाँच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं का संप्रेषण आमजन के माध्यम से भी होता है। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप–धारा (4) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के प्रावधानों में वर्णित सूचनाओं के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत देय सूचनाओं से मुक्त किया गया है। निदेशालय द्वारा की गई जाँच को एवं सूचनादाताओं की पहचान को गोपनीय रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 24 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रुप में विनिर्दिष्ट किया है।

9. पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण

पूर्व तीन वित्तीय वर्षों 2018–21 (दिनांक 1.04.2018 से 31.03.2021) में 250 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 228 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि लगभग रू. 422.64 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 64.34 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 1.04.2021 से 10.12.2021) में 23 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 61 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 17.95 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 3.35 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पूर्व 3 वित्तीय वर्षों 2018–21 (दिनांक 1.04.2018 से 31.03.2021) में 383 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 290 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 185.05 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 29.80 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 1.04.2021 से 10.12.2021) में 64 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं 68 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 2.85 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 1.68 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

निदेशालय में पूर्व 3 वित्तीय वर्षों 2018–21 (दिनांक 1.04.2018 से 31.03.2021) एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 1.04.2021 से 10.12.2021 तक) में दर्ज एवं निस्तारित पी.आई.आर., स्वप्रेरित प्रकरण एवं समग्र (पीआईआर एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण एवं इनसे प्राप्त राजस्व राशि का विवरण आगे तालिका में दर्शित किया गया है–

(राशि रू लाख में)

क. सं.	विभाग का नाम	1.04.2018 से 31.03.2021 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण						1.04.2021 से 10.12.2021 तक दर्ज पी.आई.आर का विवरण					
		1.04.2018 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर. की संख्या	शेष पी.आई. आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)	1.04.2021 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पी. आई.आर. की संख्या	निस्तारित पी.आई.आर. की संख्या	शेष पी.आई. आर. की संख्या	आरोपित राशि	वसूली गई राशि (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	147	151	82	216	3467.82	2030.06	216	22	35	203	10.98	10.98
2	परिवहन विभाग	34	27	38	23	363.49	405.88	23	6	4	25	39.57	31.62
3	आबकारी विभाग	6	11	9	8	111.65	35.71	8	2	2	8	0.00	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	215	118	138	196	14437.17	490.01	196	15	12	199	234.69	125.86
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	89	61	9	141	125.77	18.92	141	15	13	143	0.00	0.00
6	अन्य	1	15	14	2	0	0	2	4	2	4	0.00	0.00
कुल		**492**	**383**	**290**	**586**	**18505.90**	**2980.58**	**586**	**64**	**68**	**582**	**285.24**	**168.46**
		1.04.2018 से 31.03.2021 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण						1.04.2021 से 10.12.2021 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण					
1	वाणिज्यिक कर विभाग	147	97	37	207	5081.71	552.91	207	15	44	178	30.76	35.48
2	परिवहन विभाग	28	35	10	53	104.88	640.12	53	5	4	54	87.73	86.47
3	आबकारी विभाग	3	3	2	4	550.25	524.14	4	0	0	4	0.00	60.82
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	227	109	178	158	32636.78	4687.39	158	1	10	149	1677.37	152.33
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	35	6	1	40	3891.00	30.00	40	2	3	39	0.00	0.00
6	अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
कुल		**440**	**250**	**228**	**462**	**42264.62**	**6434.56**	**462**	**23**	**61**	**424**	**1795.86**	**335.10**
समस्त विभाग (पी.आई.आर.+ स्वप्रेरित)		**932**	**633**	**518**	**1048**	**60770.52**	**9415.14**	**1048**	**87**	**129**	**1006**	**2081.10**	**503.56**

10. चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2021 से 10.12.2021) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण

निदेशालय मे वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 1.04.2020 से 31.03.2021 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 1.04.2021 से 10.12.2021 तक) क्रमशः 45 एवं 23 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रू. 286.18 करोड़ तथा रू. 17.95 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रू. 50.47 करोड़ तथा रू. 3.35 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

सूचनादाता से प्राप्त सूचना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 1.04.2020 से 31.03.2021 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 (दिनांक 1.04.2021 से 10.12.2021 तक) क्रमशः 91 एवं 64 नवीन (पी.आई.आर.) प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान राशि क्रमशः रू. 27.49 करोड़ तथा रू. 2.85 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि क्रमशः रू. 10.30 करोड़ तथा रू. 1.68 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

समग्र रूप में निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2020–21 में (01.04.2020 से 31.03.2021 तक) कुल 136 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 313.68 करोड़ की मांग कायम की जाकर रू. 60.77 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में (01.04.2021 से 10.12.2021 तक) कुल 84 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 20.81 करोड़ की मांग कायम की जाकर रू. 5.03 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। आलोच्य अवधि में 129 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

11. आलोच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल

(i) वाणिज्यिक कर विभाग

राज्य में संचालित 2235 ईंट भट्टा इकाईयों की जांच पर पाया गया कि उक्त इकाईयों द्वारा खान एवं भू–गर्भ विभाग में चुकाई गई रॉयल्टी पर आरसीएम में कर दायित्व नहीं चुकाया जा रहा है, जिसमें 22.60 करोड़ रूपये का राजस्व निहित है।

राज्य में कार्यरत FLY-ASH से निर्मित ईंट निर्माता इकाईयों के अनुसंधान में पाया कि FLY-ASH BRICKS के निर्माण में निर्धारित मात्रा से कम FLY-ASH का उपयोग किया गया है जिस पर कर देयता 18 प्रतिशत है, जिसमें 1.60 करोड़ रूपये की कर अपवंचना उजागर की गई है एवं समान प्रकृति वाले प्रकरणों में कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को प्रेषित किया गया है।

राज्य में कार्यरत बॉटलिंग प्लांटस द्वारा जॉब वर्क द्वारा विभिन्न एल्कोहल विनिर्माता कम्पनियों को 5 प्रतिशत की दर से जॉब वर्क (बॉटलिंग) की सर्विस सप्लाई की जा रही है जबकि अनुसंधान पर पाया गया कि उक्त सर्विस पर 18 प्रतिशत की कर देयता हैं जिसमें 4.21 करोड़ रूपये की कर अपवंचना उजागर की गई।

राज्य में कार्यरत पांच एल्कोहल विनिर्माता कम्पनियों द्वारा एल्कोहल विनिर्माण के उपरान्त बनने वाला उप–उत्पाद (कैटल फीड) को कर मुक्त उत्पाद के रूप में विक्रय किया गया है जबकि अनुसंधान में पाया गया कि उक्त उप उत्पाद Spent grain (DDGS /BSG) श्रेणी का है, जो 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है जिसमें कर राजस्व 10.56 करोड़ रूपये का निहित है।

बोगस फर्म एवं सर्कुलर ट्रेडिंग में संलिप्त राज्य की 3 फर्मो की जांच की गई जिसमें 92 करोड़ रूपये के बोगस बिल जारी किये जाना पाया गया। उक्त फर्मों में 15 करोड़ रूपये की आईटीसी अविधिक रूप से विभिन्न फर्मो को जारी किया जाना पाया गया।

केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा नेशनल परमिट की एवज में चुकाई गई फीस पर जीएसटी आरसीएम में 18 प्रतिशत की कर देयता है जिसके क्रम में तीन गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों की जांच की गई जिसमें अनुसंधान लम्बित है जिसमें 2 करोड़ राजस्व निहित है।

राज्य में बिना विधिक दस्तावेजों के परिवहन किये जा रहे पान–मसाले के ट्रक को जब्त कर करापवंचना को उजागर करते हुए प्रकरण में राशि रूपये 0.3 करोड़ की नगद वसूली की गई।

राज्य में जयपुर एयरपोर्ट कार्गो से बिना विधिक दस्तावेजों के परिवहन किये जा रहे ज्वैलरी एवं डायमण्ड स्टोन कीमतन 2.00 करोड़ को जब्त किया जाकर करीब 1.06 करोड़ रूपये की करापवंचना को उजागर किया गया।

(ii) <u>परिवहन विभाग</u>

वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 12 पीआईआर दर्ज की गई। जिनमें से 8 प्रकरण विभिन्न सड़क व अन्य निमार्ण कार्यो से संबंधित कम्पनियों में संचालित वाहनों एवं संनिर्माण उपस्करों से सम्बन्धित है, 1 प्रकरण ओवरलोड संचालित वाहनों से संबंधित, 1 प्रकरण अन्य राज्य में पंजीकृत बिना कर चुकाये संचालित लग्जरी कार से संबंधित, 1 प्रकरण बिना कर चुकाये संचालित बस से संबंधित एवं 1 प्रकरण सीमेन्ट प्लांट में बिना कर चुकाये संचालित वाहनों से संबंधित है। वर्ष 2020–21 से पूर्व में दर्ज प्रकरणों मे से कुल 13 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिससे कुल राजस्व रू. 138.62 लाख प्राप्त हुआ।

निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो पर लगे टोल प्लाजाओं से प्राप्त डाटा के आधार पर वहाँ से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों के प्रकरणों एवं खान एव भू–विज्ञान विभाग से प्राप्त ई–रवन्ना के आधार पर बनाये गये प्रकरणों के लिए परिवहन विभाग द्वारा लागू गई एमनेस्टी स्कीम के द्वारा 9.65 करोड रू. राजस्व की प्राप्ति हुई।

निदेशालय द्वारा राज्य में सड़क निमार्ण कार्य, खनन कार्य में लगे बिना कर चुकाये संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें मैसर्स एन.के.सी. प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., मैसर्स वरिन्द्रा कंसट्रक्शन लि., मैसर्स कृष्णा कंसट्रक्शन कम्पनी, मैसर्स के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रा. लि., मैसर्स नोखा मिनरल्स एण्ड कंसट्रक्शन एल.एल.पी., मैसर्स राजश्यामा कंसट्रक्शन प्रा.लि. आदि के वाहन शामिल है। इन प्रकरणों से लगभग 85.00 लाख़ रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 11 पीआईआर दर्ज की गई। जिनमें से 6 प्रकरण विभिन्न सडक व अन्य निर्माण कार्यो से संबंधित कम्पनियों में संचालित अवैध वाहनों से सम्बन्धित है, 2 प्रकरण अन्य राज्य में पंजीकृत बिना कर चुकाये संचालित लग्जरी कार से संबंधित, 1 प्रकरण रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सरेण्डर करके संचालित टैक्स डिफाल्टर बसो के विरूद्ध एवं 2 प्रकरण स्टोन क्रेशर माईन्स मे संचालित वाहनो से संबंधित है। इस वर्ष में पुराने बकाया प्रकरणों मे से कुल 8 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कुल राजस्व रू. 118.09 लाख प्राप्त हुआ।

निदेशालय द्वारा खान एव भू–विज्ञान विभाग से प्राप्त ई–रवन्ना के आधार पर बनाये गये प्रकरणो के लिए परिवहन विभाग द्वारा लागू की गई एमनेस्टी स्कीम के द्वारा 37.11 करोड रू. राजस्व की प्राप्ति हुई।

निदेशालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 2 टोल प्लाजाओं (ठीकरिया–अजमेर रोड जयपुर एवं टांटियावास– सीकर रोड जयपुर) से प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर उसका मिलान वाहन पोर्टल पर पंजीयन प्रमाण पत्र सरेण्डर बसों के डेटा से करने पर कतिपय बसो के द्वारा पंजीयन प्रमाण–पत्र सरेण्डर अवधि में संचालन होना पाया गया। इन बसो पर पंजीयन प्रमाण–पत्र सरेण्डर अवधि का कर एवं कर का 5 गुणा शास्ती देय है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया।

निदेशालय द्वारा राज्य में सड़क निमार्ण कार्य, खनन कार्य में लगे बिना कर चुकाये संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें मैसर्स डायमण्ड कंसट्रक्शन कम्पनी, श्रीराम हाईटेक कन्सल्टेन्सी कम्पनी, मैसर्स राज राजेश्वरी स्टोन क्रेशर आदि के वाहन शामिल है। इन प्रकरणों में लगभग 40.00 लाख़ रूपये राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

निदेशालय द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के द्वारा मोटर वाहनों के पंजीयन एवं उनसे जुडी सेवाओं की फीस में बढोत्तरी के लिए दिनांक 04.10.2021 को जारी किये गये नोटिफिकेशन जीएसआर–714 (E) का परिवहन विभाग के राजस्व पर वित्तीय वर्ष 2022–23 पर होने वाले असर की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। जिसके अनुसार वर्ष 2022–23 में परिवहन विभाग के राजस्व में लगभग 48 करोड़ रू. की बढोत्तरी होने की संभावना है। साथ ही अधिकृत फिटनेस सेन्टर को प्राप्त होने वाली फीस में बढोत्तरी किये जाने से वाणिज्य कर विभाग को लगभग 3.26 करोड़ रू. अतिरिक्त जीएसटी का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

(iii) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

आलोच्य अवधि में पूर्व में दर्ज प्रमुख प्रकरण जो कि अधिग्रहण/समामेलन/मर्जर से संबंधित था, के अन्तर्गत उपमहानिरीक्षक, पाली द्वारा दिनांक 01.12.2020 को निर्णय पारित किया जाकर कुल मांग राशि रू. 53.21 करोड़ कायम की गई जिस पर संबंधित कम्पनी द्वारा एमनेस्टी योजना का लाभ लेते हुए राशि रू. 39.42 करोड़ दिनांक 22.12.2020 को राज कोष में जमा करायी गई।

उल्लेखनीय है कि राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (SDRI) द्वारा तीन बिन्दुओं पर अनुसंधान कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को भिजवाया गया था, जिसमें से एक बिन्दु पर निर्णय पारित कर उक्त राशि राजकोष में जमा कराई गई है, शेष दो बिन्दु निर्णय से लम्बित हैं जिनमें अच्छा राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में Concession Agreement राशि रू. 500 के स्टाम्प पेपर दिनांक 19.01.2021 को निष्पादित किया गया, पर मुद्रांक शुल्क देयता का निर्धारण करने हेतु प्रकरण दर्ज कर विभागीय नोडल अधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर को भिजवाया गया जिसमें अच्छा राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

अनुसूचित बैंको द्वारा प्रदत्त कन्सोर्टियम लोन एग्रीमेन्ट/लोन एग्रीमेंट पर मुद्रांक शुल्क अपंवचना के 4 प्रकरणों में लगभग रू. 12.55 करोड़ की मांग कायम कर राशि रू. 1.37 करोड़ की वसूली की गई।

एक कम्पनी से दूसरे कम्पनी को औद्योगिकी भूमि के हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क अपवंचना के प्रकरण में राशि रू. 4.02 करोड़ की मांग कायम की गई।

(iv) खान एवं भू-विज्ञान विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में बीकानेर, नागौर, पाली, उदयपुर, करौली, अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा एवं बूंदी जिले में शिकायतों की जांच एवं स्वप्रेरित प्रकरण पर कुल 21 PIR दर्ज की गई। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा प्रधान खनिजों के सह-उत्पाद के रूप में सिल्वर की मात्रा वास्तविक प्राप्त मात्रा से कम दिखाये जाने से होने वाली संभावित राजस्व हानि के लिये एक स्वप्रेरित PIR दर्ज की गई, जिस पर राज्य सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। वित्तिय वर्ष 2020-2021 में खान विभाग द्वारा SDRI द्वारा बनाये गये प्रकरणों पर कुल राशि लगभग रूपये 48.53 लाख के राजस्व की वसूली की गई।

वित्तिय वर्ष 2021-2022 में कुल 19 PIR दर्ज की गई तथा दिनांक 31.12.2021 तक झुन्झुनु, दौसा, नीम का थाना, करौली एवं अजमेर जिले में शिकायतों के आधार पर जांच की कार्यवाही की गई। उपरोक्त जिलों में खान विभाग एवं परिवहन विभाग के सहयोग से अवैध खनन की जांच की गई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रकरण में झुंझुनु जिले में उदयपुदवाटी स्थित खान मालिक द्वारा जारी किये गये अवैध रवन्नों के आधार पर लगभग 2 करोड़ रूपये की राशि की राजस्व अपवंचना का प्रकरण एस डी आर आई द्वारा उजागर किया गया।

अजमेर जिले के सरवाड क्षेत्र में खनिज क्वार्टज़-फेल्सपार के अवैध खनन की शिकायत पर खान विभाग एवं स्थानीय पुलिस विभाग की सहायता से क्षेत्र का दौरा किया गया एवं करोड़ों रूपये की राजस्व चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा प्रधान खनिजों में लेड एवं जिंक के उत्खनन की मात्रा को वास्तविक मात्रा से कम दिखाये जाने से होने वाली संभावित राजस्व हानि के लिये एक स्वप्रेरित PIR दर्ज की गई, जिसपर राज्य सरकार को लगभग 1113 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

(v) आबकारी विभाग

निदेशालय की आबकारी शाखा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3 प्रकरण दर्ज किये गये एवं 4 प्रकरण बंद/निस्तारित किये गये। वर्ष 2020-21 के अंत में 12 प्रकरण लम्बित पाये गये। वर्ष 2020-21 में रू. 328.4 लाख का राजस्व वसूल किया गया। निदेशालय की आबकारी शाखा में वित्तीय वर्ष 2021-22 (दिनांक 10.12.2021 तक) में 2 प्रकरण दर्ज किये गये एवं 2 प्रकरण बंद/निस्तारित किये गये। वर्ष 2021-22 में दिनांक 10.12.2021 तक 12 प्रकरण लम्बित है। वर्ष 2021-22 में दिनांक 10.12.2021 तक रू. 60.82 लाख का राजस्व वसूल किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के आबकारी शुल्क में अतिरिक्त आबकारी डयूटी को 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया गया था जो 01 अप्रेल, 2019 से वसूलनीय थी तथा साथ ही दिनांक 01 जुलाई, 2019 से बीयर में अतिरिक्त आबकारी शुल्क में पुनः वृद्धि कर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया गया तथा 06 अगस्त, 2019 को भारत निर्मित विदेशी मदिरा में भी अतिरिक्त आबकारी शुल्क में वृद्धि कर 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत किया गया था। उक्त वृद्धि के कारण तत्कालीन तारीखों में रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी के पास उपलब्ध ब्रांडवार स्टॉक पर अतिरिक्त आबकारी डयूटी के अन्तर राशि देय है। उपरोक्त संबंध में विभागीय डेटा का विश्लेषण कर रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों से वसूल की जाने वाली अन्तर की राशि का निर्धारण निदेशालय स्तर पर किया गया। रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों से अन्तर की राशि वसूली के लिए पीआईआर 11092019003517 दर्ज कर विभागीय डेटा ऐनालिटक्स का विश्लेषण कर कम से कम रू. 5.50 करोड की वसूली निकाली। अब तक विभिन्न जिलों से रू. 364.3 लाख की जमा की सूचना प्राप्त हुई है।

12. *सार संक्षेप*

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर उसे रोकने तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु महत्ती भूमिका सम्पादित कर रहा है एवं इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

सारणी–1

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

प्रशासनिक संरचना

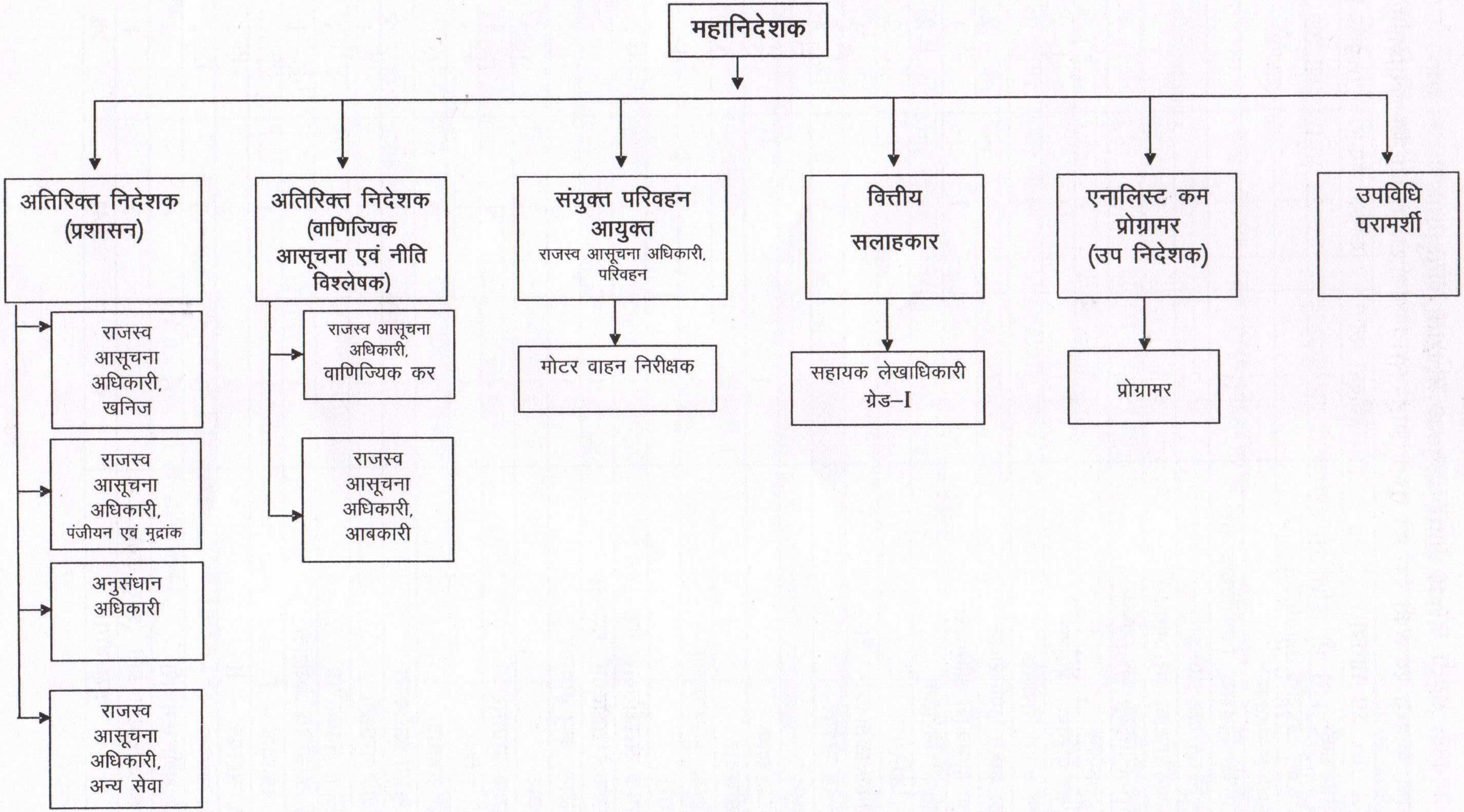

सारणी – 2

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, जयपुर

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना का विवरण दिनांक 21.12.2021 तक की स्थिति

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	महानिदेशक	1	1	-
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	1	-
3.	वित्तीय सलाहकार	1	1	-
4.	अतिरिक्त निदेशक, (वाणिज्यिक कर)	1	1	-
5.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	2	2	-
6.	सहा.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	3	-
7.	कनि.वाणिज्यिक कर अधिकारी	3	3	-
8.	कर सहायक	5	2	3
9.	संयुक्त परिवहन आयुक्त	1	1	-
10.	मोटर वाहन निरीक्षक	2	2	-
11.	मोटर वाहन उपनिरीक्षक	2	-	2
12.	जिला आबकारी अधिकारी	2	1	1
13.	आबकारी निरीक्षक	2	-	2
14.	खनि अभियन्ता	2	-	2
15.	सहायक खनि अभियन्ता	1	-	1
16.	माइनिंग सर्वेयर	1	-	1
17.	फोरमेन	1	-	1
18.	खनिज रक्षक	1	-	1
19.	तहसीलदार	2	-	2
20.	निरीक्षक भू–अभिलेख	1	-	1
21.	पटवारी	1	-	1
22.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	1	1	-
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	1	1	-
24.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	-
25.	प्रोग्रामर	1	1	-
26.	सहायक प्रोग्रामर	2	1	1
27.	निजी सचिव	1	1	-
28.	निजी सहायक	2	2	-
29.	अनुसंधान अधिकारी	1	1	-
30.	उपविधि परामर्शी	1	-	1
31.	निरीक्षक सहकारिता	3	-	3
32.	सहा. कार्यालय अधीक्षक	1	-	1
33.	वरि. सहायक – I	1	1	-
34.	कनि. सहायक – II	2	2	-
35.	वाहन चालक	3	3	-
36.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	6	-
37.	राजस्व आसूचना अधि. (अन्य सेवा)	3	2	1
	कुल योग	66	41	25

सारणी – 3

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र.सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	टेलीफोन नम्बर		
			ऑफिस	घर	मोबाईल नं.
1.	श्री आनन्द स्वरूप (आई.आर..एस.)	महानिदेशक	2744781	2744755	9602836316
2.	श्रीमती पूनम प्रसाद सागर (आर.ए.एस.)	अति. निदेशक (प्रशासन)	2740889		9829061670
3.	श्री राजकुमार	अति. निदेशक, कर	2744841		7665680000
4.	श्री विनोद कुमार	संयुक्त परिवहन आयुक्त			9414037212
5.	श्रीमती मंजू यादव	मुख्य लेखाधिकारी			9928029887
6.	श्री योगेश कुमार बैरवा	आर.आई.ओ. (अन्य सेवा) / खान			9413002879
7.	श्री संजीव गुप्ता	आर.आई.ओ. (अन्य सेवा), पंजीयन एवं मुद्रांक			8003099901
8.	श्री दिनेश कुमार विजय	ए.सी.पी. (उपनिदेशक)			9414255201
9.	श्री राहुल मीणा	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9414471318
10.	श्री संजीव चौधरी	आर.आई.ओ. (आबकारी)			9414048835
11.	श्री पवन कुमार रोयल	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9785457429
12.	श्री सुभाष चन्द जैन	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–I			9828470939
13.	श्री दाताराम वर्मा	सहा. लेखाधिकारी ग्रेड–II			9461047397
14.	श्री विकास यादव	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			7597185769
15.	श्री संदीप चौधरी	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9929120569
16.	सुश्री अंजू गर्ग	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9828069577
17.	डा. श्री धर्मपाल	आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			7340178847
18.	श्री राकेश भारद्वाज	मोटर वाहन निरीक्षक			9782363860
19.	श्री मोहम्मद इरफान	अनुसंधान अधिकारी			9784806532
20.	श्री विपुल व्यास	मोटर वाहन निरीक्षक			9413341717
21.	श्री सुरेश तिवाड़ी	प्रोग्रामर			9462064965

PABX - 2744963/Toll Free No. 1800 180 6292
Fax No. 0141-2744841

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

डी–ब्लॉक, भूतल, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

ई मेल sdri@rajasthan.gov.in

फैक्स नंबर 0141–2744841

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर